संख्या-19/2026/I/1281364/2026/002 16 1099 31 2019

प्रेषक,

बाबू राम वर्मा,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक- 26 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी मद में आवंटित बजट में से बचत की धनराशि को राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर की स्थापना/निर्माण हेतु पूंजी मद में अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/444359/2026/ई-प्लान-भवन-इंजी0 मिर्जापुर, दिनांक 02.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- उक्त पत्र दिनांक 02.02.2026 द्वारा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्य का उपभोग प्रमाण-पत्र, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं अद्यतन फोटोग्राफ, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र को संलग्न कर प्रेषित किया गया है । चूंकि पठन-पाठन का कार्य रा0ई0का0, मिर्जापुर परिसर इसी वित्तीय वर्ष से आरम्भ हुआ है, जिसके निमित्त उक्त परियोजना को शीघ्र पूर्ण किया जाना है । वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्य परियोजनाओं में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि को राजकीय इंजी0 कालेज, मिर्जापुर की स्थापना/निर्माण परियोजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि निर्गत की जा रही है ।

3. अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-यू0ओ0-1023/26-ब0प्र0-2006-13(1)/2006 दिनांक 19.12.2006 द्वारा रू0 8868.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसे शासनादेश संख्याः-4/2021/371/सोलह-1-2021-5(रिट-154)/2007टी0सी0 दिनांक 11.02.2021 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 12799.00 लाख (रू0 एक सौ सत्ताईस करोड निन्नानवे लाख)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु विभिन्न शासनादेशो के माध्यम से अब तक कुल रू0 9181.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष रू0 8882.50 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है ।

4- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी मद में अन्य परियोजनाओं हेतु आवंटित बजट में से बचत की धनराशि को राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर की स्थापना/निर्माण संबंधी परियोजना हेतु अनुदान संख्या-47 एवं 83 (पूंजी मद) के संगत लेखाशीर्ष में (संलग्न **बी0एम0-9** (पुनर्विनियोग आदेश **संख्या**:RE-budget-1-701-E-11-614-X-2025-26-**दिनांक**: 25-03-2026 के अनुसार) **एवं** (संलग्न **बी0एम0-9** (पुनर्विनियोग आदेश संख्या-**संख्या**:RE-budget-1-699-E-11-613-X-2025-26, **दिनांक**: 25-03-2026 के अनुसार)) अतिरिक्त धनराशि रू0 1228.38 लाख (रुपये बारह करोड़ अट्ठाईस लाख अड़तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

(4) जिस मद में पुनर्विनयोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जाएगी।

(5) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) पुनर्विनयोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०/ आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) पुनर्विनयोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट हेतु आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(8) प्रश्नगत पुनर्विनयोग की धनराशि उसी कार्य/मद में व्यय किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(9) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पुनर्विनयोग से उ०प्र० बजट मैनुअल के सुसंगत प्रस्तरों में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नही हो।

(10) पुनर्विनयोग की जा रही धनराशि की बजट उपलब्धता की जिम्मेदारी निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशक संस्थान की होगी।

(11) शासनादेश संख्या-यू0ओ0-1023/26-ब0प्र0-2006-13(1)/2006 दिनांक 19.12.2006 एवं संख्या-4/2021/371/सोलह-1-2021-5(रिट-154)/2007टी0सी0 दिनांक 11.02.2021 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा ।

(12) वित्त विभाग के सभी संगत नियमों का पालन किया जायेगा ।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,73,14,000 (रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 047 लेखा शीर्षक 4202021051700 इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 9,55,24,000 (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख चौबीस हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4202027891900 इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न बी०एम० प्रपत्र–09

भवदीय,

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2026/I/1281364/2026/002 16 1099 31 2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) जिलाधिकारी, मिर्जापुर ।

(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर/मिर्जापुर।

(5) प्रबन्ध निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

(6) परियोजना प्रबन्धक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, यूनिट-38, सोनभद्र।

(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।

(8) निदेशक, रा0 इंजी0 कालेज, मीरजापुर ।

(9) नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्ट्म, उ0प्र0 शासन।

(10) नोडल अधिकारी, राजकीय इंजीनियिरंग कालेज, मिर्जापुर।

(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(12) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।

(13) संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (पूर्वी क्षेत्र) लखनऊ।

(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2), उ0प्र0 शासन।

(15) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।

(16) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

(17) गार्ड फाइल।

संलग्न बी०एम० प्रपत्र–09

आज्ञा से,

बाबू राम वर्मा

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A016-20252026-16 1099 31 2019 1

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी मद में आवंटित बजट(अनुदान संख्या-47) में से बचत की धनराशि को राजकीय इंजीनियरिंग कालेज मिर्जापुर को पूंजीमद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
047	4202021052300 (राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,04,40,000 रुपये एक करोड़ चार लाख चालीस हजार मात्र	73,14,000 रुपये तिहत्तर लाख चौदह हजार मात्र	73,14,000 रुपये तिहत्तर लाख चौदह हजार मात्र	73,14,000 रुपये तिहत्तर लाख चौदह हजार मात्र	31,26,000 रुपये इकतीस लाख छब्बीस हजार मात्र	2025-2026
047	4202021052000 (जनपद प्रतापगढ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	2025-2026
कुल					₹ 2,73,14,000	₹ 2,73,14,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
047	4202021051700 (इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	2,73,14,000 रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख चौदह हजार मात्र	2,73,14,000 रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख चौदह हजार मात्र	12,73,14,000 रुपये बारह करोड़ तिहत्तर लाख चौदह हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 2,73,14,000	₹ 2,73,14,000		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
(1) स्तम्भ-5 में उपलब्ध बचत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण है।
(2) स्तम्भ-12 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-13 में अंकित अधिक व्यय के कारण है।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: RE-budget-1-701-E-11-614-X-2025-26-दिनांक: 25-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, प्रयागराज ।

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव

सुनील कुमार सरोज
अनु सचिव

संख्या : आई/1281361/2026 16-1099/31/2019 दिनांक- 26-03-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0, कानपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक)।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट अलॉटमेंट सिस्टशम, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6. वित्त (व्य्य नियंत्रण) अनुभाग-11(तीन प्रतियों में)
7. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 कानपुर ।

आज्ञा से,

बाबू राम वर्मा

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A016-20252026-16 1099 31 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी मद में आवंटित बजट(अनुदान संख्या-83) में से बचत की धनराशि को राजकीय इंजीनियरिंग कालेज मिर्जापुर को पूंजीमद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	4202027891800 (इंजीनियरिंग कालेज, प्रतापगढ़)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,25,09,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख नौ हजार मात्र	1,25,09,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख नौ हजार मात्र	1,25,09,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख नौ हजार मात्र	74,91,000 रुपये चौहत्तर लाख इक्यानबे हजार मात्र	2025-2026
083	4202027890400 (इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	12,10,00,000 रुपये बारह करोड़ दस लाख मात्र	10,80,15,000 रुपये दस करोड़ अस्सी लाख पन्द्रह हजार मात्र	8,30,15,000 रुपये आठ करोड़ तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र	8,30,15,000 रुपये आठ करोड़ तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र	3,79,85,000 रुपये तीन करोड़ उनासी लाख पचासी हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 9,55,24,000	₹ 9,55,24,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	4202027891900 (इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर)	24 (वृहत्	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	9,55,24,000 रुपये नौ करोड़	9,55,24,000 रुपये नौ करोड़	11,55,24,000 रुपये ग्यारह करोड़	2025-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
		निर्माण कार्य)		पचपन लाख चौबीस हजार मात्र	पचपन लाख चौबीस हजार मात्र	पचपन लाख चौबीस हजार मात्र	
कुल				₹ 9,55,24,000	₹ 9,55,24,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-5 में उपलब्ध बचत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण है।

(2) स्तम्भ-12 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-13 में अंकित अधिक व्यय के कारण है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्यासंख्या:RE-budget-1-699-E-11-613-X-2025-26-दिनांक: 25-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, प्रयागराज

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव

सुनील कुमार सरोज
अनु सचिव

संख्या : आई/1281362/2026 16-1099/31/2019 दिनांक-26-03-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0, कानपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक)।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट अलॉटमेंट सिस्टशम, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6. वित्त (व्य्य नियंत्रण) अनुभाग-11(तीन प्रतियों में)
7. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 कानपुर ।

आज्ञा से,

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।